भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2492
बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

कोविड-19 के कारण महिलाओं द्वारा नौकरियों से हाथ धो बैठना

2492. श्री संजय सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 के कारण अपनी नौकरियां गंवाने वाली महिलाओं का अनुपात 89 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल के हिस्से के रूप में महिलाओं की संख्या जो वर्ष 2019 में 9.7 प्रतिशत थी, नवम्बर, 2020 में घटकर 6.9 प्रतिशत हो गई; और

(घ) यदि हां, तो महिलाओं के लिए और अधिक भुगतान करने वाली नौकरियों का सृजन करने के लिए कौन-कौन सी कार्यनीतियां मौजूद हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस के परिणामों अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) के आधार पर बेरोजगारी दर 2018-19 के दौरान 5.1% थी। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान महिला श्रम बल भागीदारी दर क्रमशः 23.3% एवं 24.5% थी।

भारत में पे-रोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य – दिसम्बर, 2020 के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 2020 के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत लगभग 9.27 लाख महिला अंशदात्ताओं, नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत 1.13 लाख महिला अंशदाताओं तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत लगभग 2.03 लाख महिला अंशदाताओं की वृद्धि हुई है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों आदि के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 जिसे अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है; जो व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों स्थापन करके स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजनाओं की अधिकतम लागत 25 लाख रु. एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पीएमईजीपी के तहत महिलाओं को विशेष श्रेणी के रूप में कवर किया जाता है और वे सब्सिडी की उच्च दर की हकदार हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। पीएमएमवाई के तहत, 01-04-2020 से 29-01-2021 के दौरान 65% उधारकर्त्ता महिलाएं थी।

*****